फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व वाद जीसीएमएस नंबर 2024/494 बअनवान रेखा बनाम स्व. हिमता के कामु मांगीलाल वगैरा
अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
07/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी श्री इन्दरसिंह उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 (र) पेरोकार सरकार उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात ज्ञात है कि वादीनी द्वारा ग्राम खुडाला में स्थित निम्न वर्णन की भूमियों की घोषणा खातेदारी चाही जा रही है:–	

क्रम संख्या	खाता संख्या	भूमि विवरण		खातेदार
		खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर)	
1-A	77	1220	0.02	हंजा पत्नी चमना 1/8 हिमता पुत्र किशना 1/24
1-B	522	1209	0.27	हंजा पत्नी चमना 1/2 हिमता पुत्र किशना 1/6
1-C	47	1213 1214	0.20 0.35	हिमता पुत्र, किशना 1/24+1/8=1/6
1-D	176	1219	0.06	हंजा पत्नी चमना 1/16 हिमता पुत्र किशना 1/48
1-E	279	1561 से 1568 कुल खसरा 08	6.28	हिमता पुत्र किशना 1/71 जाति मीणा दर्ज है, जो त्रुटिपूर्ण है। इनकी जगह जाति पुरोहित तथा हिस्सा 1/64 माफिक बख्शीशनामा होना चाहिये
1-F	277	1513 से 1531, 1541, से 1544, 1569 से 1573, 1574/1866 कुल खसरा 29	17.94	हिमता पुत्र किशना 1/91 जो त्रुटिपूर्ण दर्ज है जो सही हिस्सा 1/64 होना चाहिये
1-G	478	55	0.02	हिमता पुत्र किशना 3/16
1-H	369	56, 52, 2209/61,	0.1791	हिमता पुत्र किशना 3/8

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला-पाली (राज.) ★

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हो

		2205/35, 2207/36, 2200/37, 2203/38 कुल खसरा 07		
1-l	364	2201/38, 2204/35, 2208/1 कुल खसरा 03	0.9889	हिमता पुत्र किशना के बंट में आने से वादीया को खातेदार घोषित किया जाये।
2	—	गत खसरा नंबर 215, 225 से बने हाल खसरा नंबर 1209, 1219, 1220	2 बीघा 3 बिस्वा	हंजा पत्नी चमना का 1/8 हिस्सा उत्तरोत्तर बेचान के बाद हिमता पुत्र किशनाजी को बेचान होने तथा हिमता पुत्र किशना द्वारा अपना 1/8 हिस्सा वादीया को दिनांक 19.03.2009 को बख्शीश करने से

इन सभी भूमियों का हिमता पुत्र किशना के हिस्से का बख्शीशनामा वादीया के पक्ष में निष्पादित होने से माफिक बख्शीशनामा दिनांक 19.03.2009 के अनुसार घोषणा खातेदारी चाही है। खातेदारी घोषणा के लिये विधि में प्राविधित सिद्धांतों के अनुसार तीन बिन्दुओं की पूर्ति होने पर ही खातेदार घोषित किया जा सकता है:–

(1) भूमि पुश्तैनी हो।

(2) भूमि खरीदशुदा हो।

(3) भू प्रबंध विभाग की त्रुटि हो।

उक्त प्रकरण में वादीना ने बख्शीशनामा दिनांक 19.03.2009 को आधार बनाते हुये उसके ससुर हिमता पुत्र किशना की उपरोक्त वर्णित सहखातेदारी भूमियों में निहित हिस्सों की घोषणा खातेदारी चाही है। पत्रावली के संलग्न प्रस्तुत बख्शीशनामा की प्रति के अवलोकन से ज्ञात है कि उक्त बख्शीशनामा मुंबई में निष्पादित करते हुये नोटेरी द्वारा प्रमाणित कराया गया है। विधि अनुसार बख्शीशनामा का पंजीयन उपपंजीयक कार्यालय से किया जाना आवश्यक है। जो उक्त प्रकरण में नहीं है। इसके साथ ही हिमता पुत्र

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	किशना का मृत्यु प्रमाण पत्र भी वादपत्र के साथ संलग्न नहीं है। इस प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम में विधिक प्रावधानों के तहत अपंजीकृत बख्शीशनामा का कोई प्रभाव नहीं होने से वादीया के चाहे अनुसार उपरोक्तानुसार वादग्रस्त भूमियों में खातेदारी घोषणा का अनुतोष दिया जाना न्यायसंगत नहीं है। वाद वादीया खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला - पाली (राज.) ★ सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादी :–

रेखा हंसराज पुरोहित पत्नी हंसराज पुरोहित जाति पुरोहित निवासी खुडाला–फालना तहसील बाली जिला पाली हाल रेंज ऑफिस गोखीवरे, तहसील वसई, जिला थाना (महाराष्ट्र)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. स्व. हिमता पुत्र किसनाजी पुरोहित निवासी खुडाला के कायम मुकाम वारिसान
   (अ) मांगीलाल पुत्र हिमताराम
   (ब) हंसराज पुत्र हिमताराम
   (स) कांशीराम पुत्र हिमताराम जातिगण पुरोहित निवासीगण खुडाला फालना तहसील बाली हाल रेंज ऑफिस गोखीवरे, तहसील वसई, जिला थाना (महाराष्ट्र)
   (द) स्व. लक्ष्मण पुत्र हिमताराम के कायम मुकाम वारिसान
   (1) राहुल पुत्र लक्ष्मण
   (2) जयेश पुत्र लक्ष्मण जातिगण पुरोहित निवासीगण खुडाला–फालना तहसील बाली हाल रेंज ऑफिस गोखीवरे, तहसील वसई, जिला थाना (महाराष्ट्र)
   (य) रमा पुत्री हिमताराम जाति पुरोहित निवासी खुडाला–फालना तहसील बाली हाल फ्लेट नंबर 12/B रंग सागर पी.टी. कॉलेज रोड अहमदाबाद (गुजरात)
   (र) राज्य सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2024/494
<u>वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व पेरोकार सरकार पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादीया द्वारा ग्राम खुडाला में स्थित आराजी खसरा नंबर 1220, 1209, 1213, 1214, 1219, 1561 से 1568, 1513 से 1531, 1541 से 1544, 1569 से 1573, 1574/1866, 55, 56, 52, 2209/61, 2205/35, 2207/36, 2200/37, 2203/38, 2201/38, 2204/35, 2208/1 एवं गत खसरा नंबर 215, 225 से बने हाल खसरा नंबर 1209, 1219, 1220 के संबंध में प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सबंध में प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता हैं। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी कियां। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07–10–25 को जारी किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner